संख्या- 6/2022/795/52-3-2022-52-3099/84/2021

प्रेषक

जे0 पी0 सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 30 मई, 2022

विषयः-प्रदेश के गैर अनुदानित अरबी तथा फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी पात्रता एवं शर्तें निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 27-02-2015 को समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-14/2015/2853/52-3-2014-सा(8)/2012, दिनांक 27.02.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के गैर अनुदानित अरबी तथा फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने हेतु मानक एवं शर्तों का निर्धारण संबंधी निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- सम्यक विचारोंपरान्त उक्त शासनादेश को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-16-x-2022-23, दिनांक 28-05-2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जे0 पी0 सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-795/52-3-2022 तहिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. रजिस्ट्रार उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उ० प्र०।
5. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उ० प्र० ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिददीकी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।